राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 571/III/14 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एव अभिभाषको के हस्ताक्षर
20.8.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 123 सी 129/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-12-13 से परिवेदित होकर म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानीकर्तागण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने बताया कि भूमि खसरा नंबर 452 रकबा 0.91 डिसमिल ग्राम बखतपुरा तहसील पलेरा का पटटा बंदोबस्त संबत 2000 यानि सन 1943 को हुआ था तथा यह भूमि स्वर्गीय गठोले ब्राहमण के नाम थी। संबत 2001 के पूर्व से आवेदकगण के आजे ने उक्त कृषि भूमि का बटवारा अपने पुत्र स्व.गोकुल प्रसाद एंव धनीधर को किया एंव भूमि खसरा नंबर 452 रकबा 0.91 डिसमिल को गोकुल पाठक, जो उनके बड़े बेटे थे , को अलग करके रहने लिये मकान बनाने को दिया, जिस पर रहवासी मकान के साथ साथ पशु बांधने का बेड़ा भी है किन्तु इस भूमि का इन्द्राज रिकार्ड आफ राईट में अंकित करना छूट गया जिसकी जानकारी होने पर आवेदकगण ने धारा 113 का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी जतारा को प्रस्तुत किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 17 सी 129/08-09 में पारित आदेश दिनांक 16-12-09 से दुरूस्त कर दिया, किन्तु कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष बेरूम्याद हुई अपील में कलेक्टर	

हस्तक्षेप योग्य नहीं मानने में किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

111/14

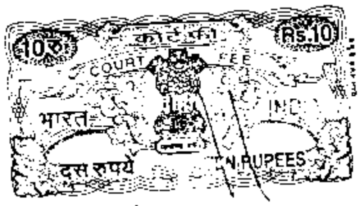

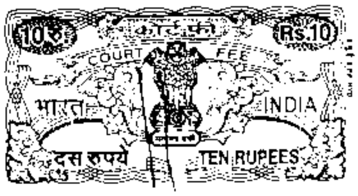

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0)

---

1. गिरजा प्रसाद तनय स्व. गोकुल प्रसाद पाठक
2. द्वारका प्रसाद तनय स्व. गोकुल प्रसाद पाठक

समस्त निवासीयान ग्राम बखतपुरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

......निगराकारगण

R-571-III/14

बनाम

धरनीधर तनय स्व. मठोले पाठक, निवासी ग्राम बखतपुरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.... प्रतिनिगराकार

निगरानी प्रतिकूल आदेश अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर (म.प्र.) के अपील क्रमांक 123सी 129 वर्ष 2013-14 आदेश दिनांक 4.12.2013 से व्यथित होकर :-

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता 1959

महोदय,

निगराकारगण सादर निम्न प्रकार विनयी है :-

(1) प्रकरण का संक्षिप्त सार :- प्रकरण में मामला इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 452 रकबा 0.91 डिसमिल स्थित ग्राम बखतपुरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0 की कृषि भूमि का पट्टा बन्दोबस्ती संवत् 2000 (अर्थात सन् 1943) में अन्य कृषि भूमि 437,37,39,99,360,371,374,450,451,452, 469,718,719,764,765,766,767,769,446 के साथ स्वर्गीय मठोले ब्राम्हण निवासी ग्राम बखतपुरा को बन्दोबस्ती विभाग के सेटिलमेंट आफीसर द्वारा दिया गया था संवत् 2001 के पूर्व आवेदकगणके आजा ने उपरोक्त पट्टे में प्राप्त कृषि भूमि का आपसी बटवारा अपने दोनों पुत्र स्व. गोकुल प्रसाद पाठक एवं धरनीधर पाठक के मध्य कर दिया था तथा भूमि खसरा नंबर 452 रकबा 0.91 डिसमिल को गोकुल पाठक को जो उनका ज्येष्ठ पुत्र था को अलग करके बगर की बखरी (मकान)